मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2020

क्रमांक एफ 1–12/2020/18–1(1488) :: श्री के.एन. सिंह, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, हनुमना द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 06.06.2020 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 8181/2020 प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2020 का ऑपरेटिव पार्ट निम्नानुसार है:–

> Considering the aforesaid, this petition is disposed of with a direction to the respondents/concerned authorities to decide the representation dated 6.6.2020 (Annexure-P/8) filed by the petitioner within a period of fifteen days from the date of receipt/production of the certified copy of the order passed today by this Court and apprise the petitioner regarding the result of the same.
>
> As an interim measure, it is directed that the effect and operation of the impugned order dated 6.6.2020 (Annexure-P/6) passed by the respondent No.1 shall remain stayed for a period of fifteen days only or till the representation is decided, whichever is earlier.

2/ उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री के.एन.सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 06.06.2020 प्रस्तुत करते हुए अलीराजपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए नगर परिषद, त्योंथर जिला रीवा पदस्थ किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3/ श्री के.एन. सिंह, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, हनुमना में वर्ष 2014 से पदस्थ होने से उनका स्थानांतरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से मूल पद राजस्व उप निरीक्षक, नगर परिषद, अलीराजपुर किया गया है।

4/ स्थानांतरण नीति की कंडिका 11.4 अनुसार जिलों में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र, प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक ही स्थान पर सामान्यतः 03 वर्ष या उससे अधिक की पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा।

5/ श्री के.एन. सिंह, राजस्व उप निरीक्षक 06 वर्ष से भी अधिक समय से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, हनुमना के पद पर पदस्थ थे। स्थानांतरण नीति की उक्त कंडिका के परिप्रेक्ष्य में इनका स्थानांतरण मूल पद पर अलीराजपुर किया गया था।

इसलिये इनका स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है, किन्तु यह अवश्य है कि वर्तमान पदस्थापना में परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।

6/ राज्य शासन एतदद्वारा श्री के.एन.सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.06.2020 पर पूर्ण विचारोपरांत विभागीय आदेश दिनांक 06.06.2020 द्वारा नगर परिषद, अलीराजपुर किये गये स्थानांतरण को संशोधन करते हुए मूल पद पर (राजस्व उप निरीक्षक) नगर परिषद, सिरमौर जिला रीवा पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/09/2020
(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0 कमांक एफ 1—12/2020/18—1(1488) भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास,
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल,
3. कलेक्टर, जिला रीवा/अलीराजपुर,
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा/इंदौर,
5. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र.
6. संबंधित कर्मचारी,
7. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
8. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

11/09/2020
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग